CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2025-8.445

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

ई–गवर्नेन्स एवं डिजिटल इंडिया

अशोक कुमार मीणा
सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
सेठ आर.एल. सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा
Email: meenaashok1977@gmail.com, Mobile-9785160468

……………………………………………………………………
First draft received: 05.11.2025, Reviewed: 09.11.2025
Final proof received: 09.11.2025, Accepted: 20.12.2025

सारांश

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी 70 प्रतिशत आबादी गाँवो में रहती है। अतः सच्चे अर्थ में भारत का विकास तभी सम्भव है, जब गाँवों का विकास हो। पंचायतीराज से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी प्रयासों एवं आर्थिक विकास के फलस्वरुप ग्रामीण लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर में परिवर्तन आ रहे हैं। ई और ईजी गवर्नेस की अवधारणा ने ग्रामीण स्तर पर शासन प्रबन्ध में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों और इसके माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली ई और ईजी प्रशासन की संकल्पना के प्रयोग अनेक बाधाएँ भी हैं, प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिए इन बाधाओं का निराकरण आवश्यक है। ई और ईजी प्रशासन से ओतप्रोत नवीन पंचायतीराज व्यवस्था ग्रामीण लोगों के समग्र विकास करने एवं समतामूलक समाज निर्मित करने में अहम् भूमिका अदा कर सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र लोकतंत्र को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने वाले ई–गवर्नेस तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने की दिशा में एक प्रयास है।

मुख्य शब्द: *ई–गवर्नेस, डिजिटल इंडिया, पंचायती राज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आदि.*

प्रस्तावना

सरकारी सेवाऐं प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ई–गवर्नेस कहलाता है। पंचायतीराज के संदर्भ में इसका अर्थ इलैक्ट्रॉनिक पंचायत से है। इसके तहत सूचना और संचार की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पंचायत को कम्प्यूटरीकृत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर शासन प्रबन्धन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार करना है। पंचायत स्तर पर तकनीक के उपयोग से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन आने की प्रबल सम्भावना है, जो भारत जैसे सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश के लिये अति महत्वपूर्ण है।

भारत में पंचायतीराज के माध्यम से लोकतन्त्र का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। यह शासन का प्रमुख कार्यान्वयन निकाय है, जिस पर पूरी विकासात्मक योजना की सफलता निर्भर करती है। इसलिए शासन की निम्न इकाई में उच्चस्तरीय सुधार की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में ई–प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके द्वारा पंचायत से सम्बन्धित सभी मामलों, नियमों, सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित सभी सूचनाओं आदि का कम्प्यूटर द्वारा संग्रहण कर उसका सहज लाभ अतिशीघ्र आम आदमी तक पहुँचाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध पत्र ई गवर्नेस तथा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अन्तर्संम्बन्ध तथा उनका विश्लेषण को अभिव्यक्त करता है।

प्रशासनिक तंत्र के समुचित तरीके से कार्य न करने का एक प्रमुख कारण नियमों एवं कानूनों का जटिल जाल है, जिसके कारण ही लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का जन्म होता है। काफी लम्बे समय तक विकासात्मक प्रशासन में एक प्रमुख बाधा इन्हीं जटिल रूढिवादी एवं अप्रसांगिक नियमों का होना है।

विकासात्मक प्रशासन को नई गति देने के लिए एक नई अवधारणा ईजी प्रशासन का जन्म हुआ है (गुप्ता, डी. एन., 2018, 49)। इस अवधारणा के अन्तर्गत जटिल, रूढियुक्त एवं अप्रसांगिक नियमों एवं कानूनों के स्थान पर आसान, प्रसांगिक विकासोन्मुख नियमों का निर्माण करना एवं इस हेतु प्रशासन को जनता के और अधिक नजदीक ले जाना है एवं प्रशासनिक पारदर्शिता को जनसाधारण के समक्ष इस रूप में रखना है कि प्रशासनिक नियमों एवं कार्यकलापों को जनसाधारण आसानी से समझ सके और एक आम नागरिक के लिए ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराना जिससे कोई भी नागरिक किसी समस्या समाधान के लिए अलग–अलग जगह न भटके, बल्कि एक ही स्थान पर उसकी समस्या का समाधान हो जाए।

पंचायतीराज में ई एवं ईजी प्रशासन

वर्तमान मे विकासोन्मुख प्रशासन की एक प्रमुख अवधारणा ई एवं ईजी प्रशासन है। इन अवधारणाओं का सर्वाधिक लाभ पंचायतीराज विभाग को मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईजी प्रशासन की अवधारणा के द्वारा ग्रामीण प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं जबावदेह बनाया जा सकता है। ई एवं ईजी प्रशासन के प्रभाव के कारण ग्रामीण प्रगति एवं उनके शासन प्रबन्ध में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। इससे पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, शान्ति, सुरक्षा और स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व के विचारों में वृद्धि हाने के आसार दिख रहे है।

ई एवं ईजी प्रशासन के कारण विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्थानीय जनता की रूचि एवं सहभागिता को बढ़ावा मिल रहा है (यादव और गौतमः 2015, 94)। ग्रामीण स्तर पर कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रवेश ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इस तकनीक की मदद से समाज में सत्ता के परम्परागत ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों के नकारात्मक प्रभाव में कमी आ गई है। पंचायत स्तर पर ई–मित्र व नई तकनीक संसाधन शुरू होने से इन लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

पंचायत में प्रशासन की मौजूदगी, मूलभूत मानवाधिकारों का संरक्षण, ईमानदार व क्रियाशील सरकार का होना, उत्तरदायित्व पारदर्शिता घटनाओं व सम्भावनाओं का पूर्वानुमान लगाना और खुलापन, ई एवं ईजी प्रशासन के कारण ही है। ई एवं ईजी प्रशासन की यह अवधारणा समाज में दक्षता, वैद्यता और विश्वसनीयता उत्पन्न करने के लिये नए मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता महसूस करता है।

इससे पंचायत स्तर पर भिन्नता और जिम्मेदारी का भाव बढ़ रहा है जो समाज के लिये क्रान्तिकारी प्रभाव के रूप में सिद्ध हो रहा है। यर्थाथ रूप से देखा जाए तो ई एवं ईजी प्रशासन पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं के वितरण तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने पर केन्द्रित है। यह सरकार द्वारा पंचायत को पिछड़े युग से सूचना युग तक पहुँचाने हेतु किया जाने वाले प्रयास है।

पंचायतीराज संस्थाओं ने स्थानीय स्तर पर सत्ता के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना कर, स्थानीय राजनीति में स्थानीय लोगों की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित किया है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना को संभव बनाया है, लेकिन अपनी स्थापना के साथ ही इन संस्थाओं के समक्ष कुछ बुनियादी समस्याएँ व चुनौतियाँ रही है, जैसे–अशिक्षा, गुटबंदी, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर वित्तीय स्थिति तथा लोगो की अरूचि इत्यादि। भ्रष्टाचार, लालफीताशाही व जटिल कानूनी संरचना ने इनकी जड़ो को अत्यधिक कमजोर किया है (रावः 2017, 117)। ई और ईजी गवर्नेस ने पंचायतीराज संस्थाओं को निश्चित रूप से सशक्त व प्रभावी बनाया है, लेकिन फिर भी उतना फायदा नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए।

अतः इस अध्ययन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ई एवं ईजी प्रशासन के प्रभाव और ई एवं ईजी प्रशासन के बेहतर क्रियान्वन हेतु किये जा रहे प्रयासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर कई समस्याओं के कारण ई एवं ईजी प्रशासन का पूर्ण प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, जिनका विश्लेषण कर समाधान खोजने का प्रयास भी इसमें किया गया है।

शोध से ई और ईजी गवर्नेस के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं के समक्ष चुनौतियों व समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रयास है ताकि ये संस्थाएँ और अधिक सशक्त बन सके एवं जमीनी स्तर पर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सके तथा ग्राम स्तर पर सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ आदमी को मिल सकें।

डिजिटल इण्डियाः सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था कार्यक्रम

देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और एक ज्ञान अर्थव्यवस्था मे तब्दील करने के लिए केन्द्र सरकार ने करीब एक लाख करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं वाले कार्यक्रम डिजिटल इण्डिया को 20 अगस्त, 2014 को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य लोगों तक आसानी से सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना और आधुनिकतम सूचना और संचार तकनीक से लोगों का फायदा पहुंचाना है (दैनिक भास्करः 2015, 9)।

डिजिटल इण्डिया पहले से चल रहे राष्ट्रीय ई–गवर्नेस योजना का रूपान्तरित संस्करण हैं। डिजिटल इण्डिया का प्रमुख उद्देश्य देश को सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपान्तरित करना है। इस योजना की प्रकृति रूपांतकारी है तथा इसमें सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो। यह सरकार की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करने के जरिए सार्वजानिक जवाबदेही बढ़ाएगा।

डिजिटल एण्डिया कार्यक्रमः मूल उद्देश्य

- सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो।
- जनता को नवीनतम सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का लाभ मिले।
- डिजिटल इण्डिया के विजन क्षेत्र
- प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा।
- मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट व्यक्तिगत स्तर डिजिटल और वित्तीय रूप में भागीदारी में समर्थ बनाएंगे।
- मुख्य सुविधा के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा।
- अनोखी, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणन योग्य डिजिटल पहचान।
- स्थानीय स्तर पर सामान्य सेवा केन्द्र तक आसान पहुँच।
- देश में सुरक्षित साइबर स्पेस।
- गवर्नेन्स और मांग पर सेवाएं
- सभी लोगों को आसान एवं सिंगल विंडो एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए विभागों या अधिकार क्षेत्रों तक निर्बाध समेकन।
- ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्म से रीयल टाइम में सरकारी सेवाएं उपलब्ध।
- सुगम एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों को क्लाउड पर उपलब्ध कराने का हक।
- इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस वित्तीय लेनदेन।
- डिजिटल सशक्त नागरिक।
- सबको डिजिटल साक्षर बनाना।
- सभी डिजिटल संसाधन सबको सुगम–सुलभ कराना।
- सभी सरकारी कागजात प्रमाण–पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराए जांएगें।
- भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधन/सेवाओं की उपलब्धता।

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के लक्ष्य

इस कार्यक्रम द्वारा सरकार का लक्ष्य आइसीटी ढांचे का निर्माण करना है, जिससे ग्राम पंचायत स्तर तक हाई–स्पीड इन्टरनेट उपलब्ध कराया जा सके। आईसीटी के इस्तेमाल के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व न्यायिक सेवाएं जनता तक पहुचायी जाएंगी। डिजिटल माध्यम से साक्षरता के जरिए नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके। सरकार नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर को भी पुनर्गठित करेगी।

डिजिटल इण्डिया के उद्देश्य

- ब्रॉडबैंड हाइवेज
- मोबाइल कनेक्टिविटी सबको सुगम–सुलभ कराना
- पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम
- ई–गवर्नेसः प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार को सुधारना
- ई–क्रांतिः सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
- सबके लिए जानकारी
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण
- रोजगारपरक सूचना प्रौद्योगिकी
- अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स

डजिटल इण्डिया कार्यक्रम के नौ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है।

ब्राडबैंड हाइवेज

सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है। जिससे सूचना के संसार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते है। इस कारण सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता हैं और जुड़े हुए तमाम बैंड की विभिन्न आवृत्तियों या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है (नारायण और माथुरः 1967, 54)। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय–सीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी हाइवे पर एक से ज्यादा लेन होने से उतने ही समय में ज्यादा गाडियां आवाजाही कर सकती है। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से अगले तीन सालों के भीतर देशभर के ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी (पांडेः 1989, 5)।

मोबाइल कनेक्टिविटी सबको सुगम–सुलभ कराना– शहरी इलाकों तक भले ही मोबाइल फोन पूरी तरह से सुलभ हो गया हो, लेकिन देश के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में कभी भी इसकी सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। हालांकि बाजार में निजी कम्पनियों के कारण इसकी सुविधा में पिछले एक दशक में काफी बढ़ोतरी हुई है, देश के इन सुविधा से वंचित गांवों में मोबाइल सम्पर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 करोड़ के यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.) का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल में आसानी होगी।

पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम–भविष्य में सभी सरकारी विभागों तक आम जनता की पहुंच बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए यह दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता हैं। इस योजना के तहत् पोस्ट ऑफिस को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में बनाया जाएगा। नागरिकों तक सेवाएं मुहैया कराने के लिए यहां अनेक प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

ई–गवर्नेसः प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार को सुधारना

सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस प्रोसेस री–है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति भी प्रायः विकासशील देश में पाई जाती है।

इंजीनियरिंग के ट्रांजेक्शन (लेन–देन) में सुधार किया जाएगा। विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रमाण–पत्रों, मतदाता पहचान–पत्रों आदि की जहां जरूरत पड़े, वहां उसका ऑनलाइन इस्तेमाल इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार्यक्रम सेवाओं और मंचों के एकीकरण यूआईडीएआई (आधार) बिलों के भुगतान आदि में मददगार साबित होगा साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया कराया जाएगा।

ई–क्रांति

सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी– इसमें अनेक बिन्दुओं को शामिल किया गया है। ई–एजुकेशन के तहत् सभी स्कूलों को ब्राडबैंड से जोड़ने, सभी स्कूलों (लगभग 2.5 लाख) को मुफ्त वाई–फाई की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी (साक्षरता) कार्यक्रय की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नकदी कर्ज राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल परामर्श/सलाह, रिकॉर्ड और सम्बन्धित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुडे एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई–एक्थकेयर की सुविधा देना। न्याय के क्षेत्र में ई–कोर्ट, ई–पुलिस, ई–जेल, ई–प्रोसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय इंतजाम के मोबइल बैंकिंग तथा माइक्रोएटीएम प्रोग्राम।

सबके लिए जानकारी

इस कार्यक्रम के तहत् सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच कायम की जाएगी। इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफार्म मुहैया कराया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेगा। साथ ही नागरिकों और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माणः इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता– इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इसके तहत् 'नेट जीरो इंवोटर्स' का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित बदलाव भी किए जाएंगे फैब–लेस डिजाइन, सेट–टॉप बाक्स, वी सेट, मोबाइल, उपभोक्ता एवं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्ड व माइक्रो एटीएम आदि की बढ़ावा दिया जाएगा।

रोजगारपरक सूचना प्रौद्योगिकी

देशभर में सूचनाा प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कम्पनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करेगी। गांवों वे छोटे शहरों में लोगों को आई.टी. से जुडे नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आई.टी. सेवाओं से जुडे कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम

डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढ़ांचा बनाना होगा यानि इसकी पृष्ठभूमि तैयारी करनी चाहिए।

निगरानी एवं स्वरूप

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति इस कार्यक्रम की निगरानी करेगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान करेगी, एक डिजिटल इण्डिया परामर्श समूह का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता संचार व आई. टी. मंत्री करेगे, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति का गठन किया जाएगा।

डिजिटल इण्डिया की मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्य

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- वित्त मंत्री
- सूचना प्रसारण मंत्री
- शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्री
- मानव संसाधन विकास मंत्री
- स्वास्थ्य मंत्री
- विशेष आमंत्रित सदस्य
- प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
- कैबिनेट सचिव
- व्यय, योजना, दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के सचिवों
- प्रदेश सचिव और राज्यपाल

स्वरूप

इसके तहत् कम–से–कम 10 महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) का पद बनाएगी, ताकि विभिन्न ई–गवर्सेस परियोजनाएं डिलाइन, विकसित और तेजी से क्रियान्वित की जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स व आई.टी. विभाग (डेइटी) विभाग के भीतर आवश्यक वरिष्ठ पदों का सृजन करेगा जिससे कार्यक्रम का प्रंबधन किया जा सके।

डिजिटल इण्डिया का कार्यक्षेत्र

- मुख्य सुविधा के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा।
- अनोखी, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणन योग्य डिजिटल पहचान।
- मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय रूप में।
- भागीदारी में समर्थ बनाएंगे।
- स्थानीय स्तर पर सामान्य सेवा केन्द्र तक आसान पहुंच।
- देश में सुरक्षित साइबर स्पेस।
- इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस वित्तीय लेन–देन।
- सबको डिजिटल साक्षर बनाना।
- सभी डिजिटल संसाधन सबको सुगम–सुलभ कराना।
- सभी सरकारी कागजात प्रमाण–पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी के केन्द्रीय स्तर पर रखना।

डिजिटल इंडिया की परिकल्पना केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों को साथ लाते हुए प्रौद्योगिकी समर्थित विकास का व्यापक लक्ष्य पूरा करने के लिए की गई है। इसे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और केंद्रीय समन्वयक दिशा में आगे बढ़ें और एक समान दृ ष्टिकोण और रणनीति का पालन करें।

ई–क्रांति का विजन है– 'सरकार के रूपांतरण के लिए ई–गवर्नेंस का रूपांतरण।' देश में सुशासन (गुड गवर्नेंस) और मोबाइल गवर्नेंस सरकार की वरीयता है और इस सिलसिले में ई–क्रांति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्च 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई–क्रांति के निम्न प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए थे–

- सरकारी सेवाओं का रूपांतरण हो, न कि उन्हें नए रूप में पेश कर दिया जाना (ट्रांसलेशन)। सेवाएं अलग–अलग न उपलब्ध हों बल्कि एकीकृत रूप से दी जाएं।
- सरकारी प्रक्रियाओं की रि–इंजीनियरिंग हो, यानी कि उन्हें आधुनिक समय की जरूरतों के लिहाज से नए सिरे से तैयार किया जाए।
- सरकारी विभागों को आवश्यकतानुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ढाँचा उपलब्ध कराया जाए (कनेक्टिविटी, क्लाउड, मोबाइल प्लेटफॉर्म आदि)।
- क्लाउड बाइ डिफॉल्ट, यानी कि अपने लचीलेपन, गति और कम कीमत के कारण क्लाउड को प्रधानता दी जाए। इंटरनेट पर मौजूद तकनीकी ढाँचे और सेवाओं का प्रयोग प्रधानता के साथ किया जाए।
- 'मोबाइल फर्स्ट' यानी सेवाएं देने के सभी माध्यमों को इस तरह से डिजाइन या रिडिजाइन किया जाए कि वे मोबाइल फोन के जरिए सेवाओं की डिलीवरी कर सकें। मिशन मोड परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी देने का तंत्र विकसित हो।
- ई–गवर्नेंस की परियोजनाएँ लागू करते समय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से निर्धारित मानकों (स्टैंडर्ड्स) का पालन

किया जाए। ऐसा नहीं कि जिसने चाहा, जैसे चाहा, अपना ई–गवर्नेंस एप्लीकेशन बना लिया और सेवा देना शुरू कर दिया।

- ई–गवर्नेंस से जुड़ी सभी सूचनाएं और सेवाएं अंग्रेजी ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हों।

इन सिद्धांतों के आने से ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में आने वाली योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, पहलों आदि को एक सार्थक, सुपरिभाषित, समानतापूर्ण, उद्देश्यपूर्ण तथा परिणामोन्मुखी दायरे में रखना संभव हो गया है। नतीजतन, आज यह कहा जा सकता है कि ई–प्रशासन (ई–गवर्नेंस) इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने और प्रबंधित करने का एक तंत्र है और एक स्मार्ट (सरल, नैतिक, जवाबदेह, जिम्मेदार और पारदर्शी) सरकार सुनिश्चित करने में मदद करता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के समय सरकार की जो परिकल्पना थी, उस पर हम एक नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हम पूर्व–निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहे हैं (कटारियाः 2021, 95)। सन् 2015 में प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में सुधार के लिए निम्न मार्गदर्शक सिद्धांतों का जिक्र किया गया था, जो यह समझने के लिए पर्याप्त है कि आज इन क्षेत्रों में काफी काम हो चुका है या हो रहा है।

फॉर्म सरलीकरण

सरकारी कार्यालयों में दाखिल किए जाने वाले फॉर्मों को सरल बनाया जाना चाहिए और केवल न्यूनतम तथा आवश्यक जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। आज न केवल डिजिटल माध्यमों से फॉर्म लिए जाने लगे हैं बल्कि इस प्रक्रिया में उनका काफी सरलीकरण भी हुआ है (गुप्ता, डी. एन.: 2018, 247)।

ई–ताल

ई–ताल मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के ई–लेनदेन आंकड़ों के प्रसार के लिए एक वेब पोर्टल है। यह लगभग वास्तविक समय के आधार पर समय–समय पर वेब आधारित अनुप्रयोगों से लेन–देन के आँकड़े प्राप्त करता है (गुप्ता, डी. एन.: 2018, 312)। ई–ताल विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं द्वारा किए गए लेन–देन का त्वरित दृश्य देने के लिए सारणीबद्ध और ग्राफिकल रूप में लेन–देन की गणना का त्वरित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाने चाहिए और उन पर कहाँ तक अमल हुआ है, इसे ट्रैक करने की सुविधा होनी चाहिए। आज काफी हद तक ये सेवाएं साकार हो चुकी हैं।

ऑनलाइन भंडार

प्रमाणपत्र, शैक्षिक डिग्री, पहचान दस्तावेज आदि सामग्री को ऑनलाइन सहेजना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को आवश्यकतानुसार इन दस्तावेजों को भौतिक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता न हो। डिजिलॉकर, एम– परिवहन और ऐसे ही कई अन्य एप्लीकेशन तथा ऑनलाइन सुविधाओं से हम परिचित है (कौर, गुरमेहरः 2019, 92)।

सेवाओं और प्लेटफार्मों का एकीकरण– भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), पेमेंट गेटवे, मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मिडलवेयर (जैसे नेशनल और स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे) के माध्यम से डेटा साझा करना, नागरिकों और व्यवसायों को सेवाओं की एकीकृत सुविधा प्रदान करना आदि अनिवार्य किया जाना चाहिए। जिस तरह से चुटकियों में आज अनेक सरकारी सेवाएं तथा दूरसंचार सेवाएं आदि मिलने लगी हैं, आयकर सेवाओं आदि के साथ आधार, बैंक खातों तथा पैन कार्ड आदि का तालमेल हो चुका है, उससे स्पष्ट है कि हम अच्छी रफ्तार से क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़े हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रूपों में जानकारी

सभी डेटाबेस और जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होनी चाहिए न कि मैनुअल लगातार समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इस डेटा के स्वचालित ढंग से संग्रहण, विश्लेषण और आवश्यकतानुसार कार्रवाई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस दिशा में नीति आयोग और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अनेक महत्वपूर्ण पहले की हैं, न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि निजी क्षेत्र को साथ लेकर भी काम किया जा रहा है (कौर, गुरमेहरः 2019, 92)। ई–गवर्नेंस परियोजनाओं की सफलता का परिणाम बेहतर सरकार या सुशासन में दिखाई दे रहा है, जो इसका वास्तविक लक्ष्य भी है।

मोबाइल गवर्नेंस

डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभों में से एक ई–क्रांति सिद्धांत के तहत केंद्र सरकार ने 'मोबाइल फर्स्ट' को अहम् स्थान दिया है। भारत सरकार की ई–गवर्नेंस योजनाओं का एक महत्वपूर्ण घटक 'एम–गवर्नेंस' है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने सन 2015 में मजाक में कहा था कि एम गवर्नेंस का मतलब 'मोदी गवर्नेंस' नहीं है बल्कि मोबाइल गवर्नेंस' है।

देश भर में स्मार्टफोनों की बढ़ती लोकप्रियता और मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी की आसान पहुँच के कारण मोबाइल गवर्नेंस के लिए स्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं। उम्मीद के अनुसार, एम–गवर्नेंस ने शासन के दो हितधारकों के बीच की दूरी को कम करने में तेजी से प्रभावी और विवेकपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है और ये हैं–सरकार और लोग।

एम–गवर्नेंस, जो ई–गवर्नेंस का एक भाग घटक या सबसेट है, देश में हर दरवाजे तक पहुंचने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में उभरा है। फिनटेक की प्रभावशाली सफलता इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंटरनेट की अद्भुत शक्ति के सहयोग से मोबाइल फोन उपकरण हमारे ई–गवर्नेंस के सपनों को साकार करने में शक्तिशाली और प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं (माहेश्वरीः 2013, 25)

सरल शब्दों में कहा जाए तो मोबाइल गवर्नेंस का मतलब है मोबाइल उपकरणों, विशेष रूप से स्मार्टफोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ई–गवर्नेंस। इंटरनेट से जुड़ा मोबाइल उपकरण सरकारी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में पेश आने वाली कुछ सबसे पेचीदा चुनौतियों और समस्याओं का जवाब है।

भारत एम–गवर्नेंस के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे अच्छा पात्र है क्योंकि देश में एक तरफ राष्ट्रव्यापी मोबाइल– इको सिस्टम की असाधारण वृद्धि और दूसरी तरफ, ई–गवर्नेंस तंत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ हैं। देश भर में पीसी की पहुँच अभी काफी कम है चूंकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सीमित है जबकि दूसरी तरफ, हमारे भौतिक बुनियादी ढांचे की सीमाएं (निरंतर बिजली आपूर्ति सहित) हैं और हमारी बड़ी ग्रामीण आबादी के लिए सरकारी सेवाओं को पाने हेतु भौतिक रूप से पहुँचना एक दुष्कर कार्य है (माहेश्वरीः 2013, 62)। इंटरनेट से जुड़े पीसी और कियोस्क के विकल्प के रूप में मोबाइल उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और इसमें अभी काफी विस्तार की संभावनाएं हैं।

आज देश की अधिकांश आबादी सरलता से अपने मोबाइल फोन के जरिए वित्तीय तथा अन्य सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है (महीपालः 2008, 7)। आरोग्य सेतु, डिजिलॉकर, ई–पाठशाला, एमआधार, एम परिवहन, पासपोर्ट सेवा, माइ गव और पीएमओ इंडिया जैसे मोबाइल एप्लीकेशनों ने एम–गवर्नेंस की उपयोगिता को सिद्ध किया है। अब 'उमंग' के रूप में ऐसी पहल की गई है जो केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर दी जा रही अनगिनत सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप के जरिए प्रदान करने का मंच है।

उमंग ऐप (Unified Mobile Application for New&age Governance)

यह भारत सरकार का एक निःशुल्क मोबाइल ऐप है (मुखर्जीः 2020, 11)। ये एक बहुद्देशीय ऐप है जिसके जरिए यूजर्स कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ सिर्फ एक क्लिक पर उठा सकते हैं। भारत में मोबाइल गर्वनेंस की दृष्टि से ये ऐप सर्वोत्तम है। उमंग ऐप के माध्यम से भारतीय नागरिको को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक की अखिल भारतीय ई–गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए एकल मच प्रदान किया गया है (मुखर्जीः 2020, 167)। यहां डिजिटल पेमेंट से लेकर कई तरह की योजनाओं जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड सर्विस, ईपीएफओ जीवन प्रमाण सहित कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल ई–गवर्नेंस डिविजन द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से भारत के नागरिक विभिन्न सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर प्राप्त कर सकते हैं (यादव और गौतमः 2015, 182)। इस ऐप के संचालन से देश के नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का उपयोग करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिससे कि समय और पैसे दोनों की बचत के साथ–साथ प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

भारत एक शक्तिशाली देश बनने की राह पर है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि देश की विकास दर में किस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार इस दिशा में कई सारे काम कर रही है। कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि देश के साथ नागरिकों को भी तरक्की हो सके। इतना ही नहीं, सरकार अपने सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज करने के तौर–तरीके बदलने में लगी हुई है। साथ ही, काम की रफ्तार को और बढ़ाने की जरूरत है। एक समय था जब सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए लोगों को कई हफ्तों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन डिजिटल तकनीक से स्थिति में काफी बदलाव आया है और देश में ई–गवर्नेंस की मदद से सरकारी कामों में खूब तेजी आई है।

निहितार्थ

हम पिछले कई वर्षों से यह महसूस कर रहे है कि सूचनाओं के संप्रेषण से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए है आम जनता के हित के केन्द्र और राज्य सरकारों की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है (राजस्थान पत्रिका, 2022, 2)। कोशिश यही है कि समाज के सबसे हाशिए पर बैठे लोगों के जीवन में बदलाव आए। हालांकि भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही के कारण और अपने अधिकार के विषय में सूचना के अभाव के कारण लोगों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचा जोकि इसके हकदार है।

यदि सूचनाओं को डिजिटल कर दिया जाए और संप्रेषण को आसान बना दिया जाए तो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी होगी (रावः 2017, 91)। ग्राम पंचायत में चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन आदि कई ऐसी योजनाएं है जो गांवों में चलाई जाती है। शिक्षा से लेकर गरीबी उन्मूलन तक विकास की 29 ऐसी योजनाएं है जिन्हें लागू करने के लिए हम पंचायतों पर निर्भर है। देश में ग्रामीण तभी इन योजनाओं का लाभ उठा पाएगें, जब उन्हें अधिकारों जानकारी होगी (रावः 2017, 97)। ई–गवर्नेस सुशासन का महत्त्वपूर्ण घटक है (रावः 2019, 104–106)। भारत में ई–गवर्नेस के माध्यम से सुशासन लाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए हालांकि उनमें अप्रत्याशित तेजी तथा सफलता कोविड महामारी के बाद ही देखने को मिली। ऑनलाइन की मजबूरी ने कई नवाचार और स्टार्टअप्स के आगे बढ़ने के लिए माहौल पैदा किया जिससे भारत सरकार के डिजिटल भारत, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को नया आगाज मिला। आज भारत विश्व मंच पर नए आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़ा है और निसंदेह भारत सरकार के विजन से ही भारत इस मुकाम पर पहुँचा है (रावः 2019, 82)।

भारत सरकार के पिछले कुछ साल रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म अर्थात सुधार प्रदर्शन और परिवर्तन पर आधारित रहे हैं। लाभ के अंतिम छोर तक सुपुर्दगी में सुधार लाने और देशभर में विकास के नतीजों को बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक नीतियों और पहलों को लागू किया गया है (रॉयः 2019, 86) नीतियों में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने और हाशिए पर रहने वालों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पीएम जन धन योजना के तहत करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में लाया गया, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण (डीबीटी) सीधे उनके खाते में प्राप्त होने लगा है जिससे सिस्टम में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में मदद मिली है (रॉय 2019, 89)। पीएम किसान जैसी पहल से देशभर में करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये डीबीटी के तहत सीधे खाते में प्राप्त हो रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावों के लिए आज ड्रोन तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और ई–नाम पहल के जरिए किसानों को अपनी फसल के उचित दाम दिलाने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए गए हैं (रॉयः 2019, 94–96)।

भारत आज दुनिया में सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान का साक्षी है। दुनिया में पहली बार पूरे टीकाकरण अभियान को डिजिटल किया गया (सक्सेनाः 2004, 2)। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा को आर्थिक विकास के एक महत्त्वपूर्ण स्तभ के रूप में बेचते हुए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कवरेज योजना– आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिससे करोड़ों नागरिकों को लाभ पहुँच रहा है। ई–संजीवनी ई–अस्पताल, टेलीमेडिसीन जैसी तकनीक आधारित सरकारी सुविधाओं से आजा के दूर–दराज के भागों में रहने वाले नागरिकों तक भी स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधायें ऑनलाइन देना संभव हो पाया है (राजस्थान पत्रिका, 2023, 9)।

डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कर दाखिल करने बीमा दावों और सरकारी कागजी कार्रवाई जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाया गया है।

माईगव (MyGov)

माईगव नागरिकों को सरकार से जोड़ने वाला मंच है जिसे सहभागी शासन की सुविधा के लिए विकसित किया गया हैं। जुलाई 2022 में 'मेरी पहचान' नामक राष्ट्रीय एकल साइन ऑन प्लेटफार्म शुरू किया गया है ताकि नागरिकों को सरकारी पोर्टलों तक आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके। इसी तरह नागरिकों को पात्रता आधारित सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए 'माईस्कीम' मंच आरंभ किया गया है।

डिजिलॉकर सार्वजनिक दस्तावेजों की कागज रहित उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर रहा है। वहीं दीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक मंच है जो छात्र और शिक्षकों को देश के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा मंच में भाग लेने, योगदान करने और लाभ उठाने में मदद करता है।

यूआईडीएआई (आधार) द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और हाल की पहलों को साझा करने से सुशासन पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है। आधार के लाभों से न केवल राज्य की मौद्रिक बचत हुई है, बल्कि जिम्मेदार व्यवहार, पारदर्शिता और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों का देश के अंतिम व्यक्ति तक तेजी से वितरण को भी बढ़ावा मिला है (सैगिताः 2021, 382)। आधार देश के सबसे बड़े नवोन्मेष में से एक सिद्ध हुआ है। भारत में लगभग सभी वयस्कों को आधार मिल चुका है। कुल आबादी का लगभग 94 प्रतिशत इसके दायरे में आ गया है।

यूआईडीएआई विभिन्न सत्यापनों के जरिये एक दिन में सात करोड़ से अधिक बार नागरिकों के उपयोग में आता है। आधार भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का मूल आधार बन गया है जिसने डिजिटल विभाजन को पाट दिया है, ई–केवाईसी सेवाओं को सक्षम किया है, मोबाइल के माध्यम से दरवाजे पर बैंकिंग सेवा प्रदान की है और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरूरतमंद और योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद अंतरण की सुविधा प्रदान की है। इस दिशा में की गई नई पहले लागू हो जाने के बाद इसके ऑफलाइन सत्यापन का इस्तेमाल बढ़ेगा तथा आधार के ऐच्छिक उपयोग के जरिए नागरिकों को अपनी इच्छा से सेवायें लेने की स्वतंत्रता हो जाएगी।

संक्षेप में ई–गवर्नेस ही सुशासन का भविष्य है और यह भारत का रूपांतरण एक पारदर्शी एवं डिजिटल रूप से सशक्त देश में करने संबंधी भारत सरकार के विजन के अनुरूप है (सिंहः 2017, 24)। सरकार भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त देश के रूप में रूपांतरित करने की दिशा में काम कर रही है और ग्रामीण भारत के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता उपलब्ध कराकर ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है (सिंहः 2017, 37) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित जन सेवा केंद्र (सीएससी) इस दिशा में काफी सराहनीय काम कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य से काफी दूर है। डिजिटल साक्षरता के अलावा मूलभूत साइबर सुरक्षा अवधारणाओं में कौशल निर्माण की मांग भी कई गुना बढ़ गई है, जिस दिशा में तेजी से कार्य करने की जरूरत हैं।

2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया तब उन्होंने कहा था– ''मैं ऐस डिजिटल इंडिया का सपना देखता हूँ जहाँ पर तेज–रफ्तार डिजिटल हाइवे देश को एक कर रहे हों, 1.3 अरब कनेक्टेड भारतीय नवाचार में जुटे हों और टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित कर रही हो कि नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क का माध्यम भ्रष्ट न किया जा सके (सिंहः 2017, 95)।''

प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी में अनेक संदेश छिपे हुए हैं। सबसे पहला यह कि भारत डिजिटल इंडिया में तब्दील हो। दूसरा, देश भर में तेज रफ्तार डिजिटल हाइवे हो यानी कि इंटरनेट तथा संचार कनेक्टिविटी का जाल बिछा हुआ हो। तीसरे, 1.3 अरब भारतीय न सिर्फ इंटरनेट तथा संचार सेवाओं से जुड़े हुए हों बल्कि नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों। चौथा संदेश यह कि टेक्नोलॉजी इस देश में सरकार तथा नागरिकों के बीच संपर्क का एक माध्यम तैयार करे। पाँचवा संदेश यह है कि हम ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसे भ्रष्ट न किया जा सके अर्थात नागरिक बिचौलियों तथा भ्रष्टाचारियों के हाथों पड़े बिना सरकार से संपर्क कर सकें तथा अपना काम पूरा करवा सकें। स्पष्ट है कि भारतीय प्रधानमंत्री एक आधुनिक, डिजिटल, नवाचारोन्मुख समाज का सपना देख रहे हैं। वे तकनीक आधारित प्रगति की ओर निगाहें लगाए हुए हैं और सरकार तथा लोगों के बीच की दूरी समाप्त करने के साधन के रूप में ई–गवर्नेस की कल्पना कर रहे हैं।

आज आठ साल बाद हम आज के भारत पर दृष्टि डालते हैं तो वह उसी दिशा में कदम बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में संकेत दिया था। डिजिटल इंडिया का सपना साकार होने को है। वहीं ई–गवर्नेस का मॉडल अपनी जगह पर स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। सरकार तथा नागरिकों के बीच मौजूद दूरियाँ भी कम हुई हैं (सिन्हाः 2022, 15)। इंटरनेट, मोबाइल फोन और गाँव–गाँव, शहर–शहर में फैले सरकारी सेवा प्रदाताओं (कियोस्क) के जरिए लोग पहले की तुलना में ज्यादा आसानी से सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। प्रक्रियाएं सरल हुई हैं तथा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

डिजिटल इंडिया का बढ़ता दायरा

भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज एक वैश्विक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि भारत पहले भी सॉफ्टवेयर और सेवाओं के क्षेत्र की बड़ी विश्व शक्ति माना जाता रहा है लेकिन डिजिटल इंडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छितराई हुई सेवाओं और ढाँचे को सुसंगठित, आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में योगदान दिया है। यह प्रक्रिया जारी है किंतु डिजिटल इंडिया की बदौलत जैसा तकनीकी रूपांतरण देश में देखने को मिल रहा है, उसमें सरकार और निजी क्षेत्र की बहुत सारी सेवाएं डिजिटल माध्यमों से आम आदमी की पहुँच में आ गई हैं।

इसने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी मौजूदा कामयाबियों तथा मजबूतियों को सुरक्षित करने का अनुशासन दिया है और दूसरी तरफ, नए एवं अछूते क्षेत्रों

में कदम बढ़ाने की महत्वाकांक्षा पैदा की है। भारत की अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान पहले भी महत्वपूर्ण था, जो आज और भी अधिक बढ़ गया है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना क्रांति अब आम आदमी को सशक्त बनाने की स्थिति में आ गई है (श्रीनिवासः 2017, 143)।

किसी भी बड़ी प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी ताकत का आकलन इसी बात से होना चाहिए कि वह सामान्य नागरिक को कितना लाभान्वित कर रही है। यदि उसके लाभ समाज के एक वर्ग तक ही सीमित रहेंगे तो उससे देश की आर्थिक–सामाजिक सेहत पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। डिजिटल इंडिया अभियान उस लिहाज से एक दूरदर्शितापूर्ण तथा सामयिक नजरिए को अभिव्यक्त करता है।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी सरकारी पहल से लेकर रिलायंस जियो जैसे निजी उपक्रमों ने इसे आम आदमी तक पहुँचाने में अच्छी भूमिका निभाई है (श्रीनिवासः 2017, 197)। डिजिटल इंडिया को तो भारत के इतिहास की सबसे सफल तकनीकी पहलों में गिना जा सकता है जिसकी कामयाबी में जैम (जन धन बैंक खाते, आधार विशिष्ट पहचान और मोबाइल फोन) ने बुनियादी भूमिका निभाई है।

अक्तूबर 2022 में हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने 7.3 अरब मासिक डिजिटल वित्तीय लेनदेन की संख्या को छू लिया था जिनके जरिए 12 लाख 11 हजार 582 करोड़ से भी अधिक के मासिक लेनदेन हुए। इस योजना से जुड़े बैंकों की संख्या से लेकर लेनदेन की संख्या और धन के आदान–प्रदान की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसके जरिए एक हजार अरब डॉलर (1 ट्रिलियन डॉलर) का लेनदेन होने की उम्मीद है ((राजस्थान पत्रिका, 2024, 11)।

जिस तरह से आम आदमी पेटीएम, फोन पे, रेजर पे और ऐसे ही दर्जनों दूसरे एप्स के जरिए सुगमता से पैसे का लेनदेन कर रहा है, जिस तरह से नेटबैंकिंग की सेवाएं आम हो गई हैं, जिस तरह से लोगों की पहचान को प्रमाणित करने में 'आधार' ने अद्वितीय योगदान दिया है वैसा ज्यादातर पश्चिमी देशों में भी दिखाई नहीं देता। आम आदमी हमारे आईटी ढाँचे के केंद्र में आ रहा है। जब यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी और जब देश में तकनीकी मानस की प्रधानता होगी तब देश में कैसा डिजिटल कायाकल्प हो चुका होगा, उसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है।

सन्दर्भ

- अवस्थी, ब्रह्मदत्त (2016) "लोकतंत्र", विद्या विहार पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.36
- अरोड़ा, रमेश के. और सोगानी, मीना (1989) "स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान", आर. बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, पृ.22
- अरोड़ा, रमेश के. और माथुर, पी. सी. (1998) "एडमिनिस्ट्रेटिव सी. सिस्टम ऑफ राजस्थान", इंस्टीट्यूशनल लैण्ड मार्क, आलेख पब्लिकेशंस, जयपुर, पृ.32
- अरोड़ा, रमेश और चतुर्वेदी, गीता (2021) "भारत में राज्य प्रशासन", आरबीएसए पब्लिशर्स, जयपुर, पृ.45
- अत्तरचन्द (1990) "नेहरू एण्ड इकॉनोमिक आर्डर, पंचायतीराज एण्ड रूरल डवलपमेण्ट", दीप एण्ड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.14
- इंदा, उम्मेद सिंह (2005) "राजस्थान में स्वाधीनता संघर्षः राज्य शासन एवं राजनीति", राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, पृ.65
- उम्मन, एम. ए. और दत्ता, अभिजीत (1995) "पंचायत राज एंड देअर फाइनेंस", कन्सेप्ट पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृ.37